## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 258–दो/2011 विरूध्द आदेश दिनांक 28–10–10 पारित आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक 426/अ–19/08–09 अपील.

हरीश कुमार बानवानी आत्मज जोधाराम
निवासी जोधाराम भवन, रावर्ट लाईन,
माधव नगर, कटनी, म0प्र0 ——— आवेदक

विरूध्द

1– अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर
2– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर, कटनी
3– अनुविभागीय अधिकारी,राजस्व, कटनी
4– नायब तहसीलदार, मुडवारा, ब्लाक कटनी
5– पटवारी ह.नं. 44 ग्राम पहाड़ी जिला कटनी ——— अनावेदकगण

श्री सुशील मिश्रा, अभिभाषक – आवेदक

### आदेश

(आज दिनांक 15-10 – ,2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के अपील प्रकरण कमांक 426/अ–19/08–09 में पारित आदेश दिनांक 28–10–10 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक ने ग्राम पडरवाड़ा प0ह0नं0 44 स्थित भूमि खसरा नं0 5 रकबा 1.34 हे. कृषि प्रयोजन हेतु प्रीमियम पर या पट्टे पर दिये जाने हेतु आवेदनपत्र कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया। कलेक्टर व्दारा प्रकरण पंजीबध्द कर प्रतिवेदन आहूत किया गया। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 7–3–09 में यह दर्शाया कि ग्राम पड़रवारा स्थित भूमि ख0नं0 5 रकबा 1.34 हे0 घास म0प्र0शासन नजूल दर्ज है। यह भूमि नगर निगम कटनी के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत आती है इसलिये नजूल भूमियों के

प्रबंधन एवं व्यवस्था के नियम लागू होगें। नजूल भूमि रा.पु.परि. 4(1) के अन्तर्गत कृषि प्रयोजन हेतु प्रीमियम या पट्टे पर देने का प्रावधान नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण निरस्त करने की अनुशंसा की। कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 11–04–09 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि नगर निगम कटनी के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं में आने से रा0पु0परि0 4–1 के अन्तर्गत भूमि प्रीमियम या पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान नहीं होने से आवेदक का आवेदनपत्र खारिज किया। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी अपील आयुक्त ने खारिज की। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया तथा आवेदक के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि उबड़–खाबड़ है तथा आवेदक भूमि को समतल का प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि करना चाहता है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आवेदक का आवेदनपत्र खारिज करने में गलती की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण की ओर से सूचना उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हुआ।

5/ प्रकरण के अभिलेख एवं तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पड़रवारा स्थित प्रश्नाधीन भूमि ख0नं0 5 रकबा 1.34 हे0 घास म0प्र0शासन नजूल दर्ज है। यह भूमि नगर निगम कटनी के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत आती है, इसलिये इस पर नजूल भूमि के प्रबंधन एवं व्यवस्था के नियम लागू होगें। नजूल भूमि रा.पु.परि. 4(1) के अन्तर्गत कृषि प्रयोजन हेतु प्रीमियम या पट्टे पर देने का प्रावधान नहीं होने से कलेक्टर व्दारा आवेदक का आवेदनपत्र खारिज किया गया है। आवेदक के अभिभाषक व्दारा बहस के समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया है जिसके तहत नजूल भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत कृषि प्रयोजन हेतु प्रीमियम या पट्टे पर प्रदाय की जा सके। ऐसी दशा में निगरानी आवेदनपत्र आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी का आवेदनपत्र खारिज किया जाता है। आयुक्त, जबलपुर संभाग का आदेश दिनांक 28–10–10 एवं कलेक्टर का आदेश यथावत रखा जाता है।

( एम0क0 सिंह )
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,